

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री कृष्ण कुमार बनाम चाँदी

क्र 75 वाद/प्रा०प०/अपील

प्र०सं० 3/17/45

7 बाद जाँच वाद/प्रा०प०/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना जारी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 11.10.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

11.10.17

पत्रावली पेश। वकील लवादी उपारिपत् प्रत्येक दो गणों को तलमिल होकर प्राप्त तल वकील लवादी तलवाना सामन नोटिस पेश करे। पत्रावली दिनांक 29.11.17 को पेश हो।

29.11.17

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/प्रीटारसीन उभिकार जी
श्री कृष्ण कुमार बनाम चाँदी पत्रावली
दिनांक 24.1.18 को पेश हो।

रीज
आदेश से रीडर

24.1.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/प्रीटारसीन उभिकार जी
श्री कृष्ण कुमार बनाम चाँदी पत्रावली
दिनांक 25.5.18 को पेश हो।

रीज
आदेश से रीडर

31.5.18

पत्रावली कोर्ट कामप हमीरगढ पर पेश। अपीलियों के बयानों से उपारिपत् अपीलियों के तथ्य पुरान पवार है कि ग्राम हमीरगढ के आ.सं 3263, 3264, 4201/3265 में भूमि रिपत है यह है कि अपीलियों के पिता शंवार लाल गार्ड को देहान्त हो जाने

श्री कृष्ण कुमार

एक परधान विरासत से ग्राम पंचायत
 हमीरगढ़ द्वारा इन्तकाल एन. ५६१३
 शकाला गढ़ा लै विन शिवन से
 अपीलार्थी का नाम कुलदा कुमार
 के बजाय विशान लाल दर्ज कर
 दिया गया, जब की शंकर लाल जी
 के विशान लाल नाम की कोई लड़की
 नहीं थी न ही अपीलार्थी का नाम
 विशान लाल न होकर कुलदा कुमार
 ही अतः ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण
 संख्या ५६१३ दिनांक २१/५/२०१५ में
 उक्त आराजिपात के राजरव शिवाड
 में विशान लाल पिता शंकर लाल
 के बजाय कुलदा कुमार पुत्र शंकर लाल
 पुरखत कर राजरव शिवाड में इच्छा
 कराया जावे।

अपीलार्थी के अपील का अकलौकल
 विधा गढ़ा।

आदेश

लक्ष्मीलाल हमीरगढ़ का आदेश
 दिया जाता है कि ग्राम हमीरगढ़
 के आराजी नम्बर ३२६३, ३२६५, ५२०/३२६५
 विद्या ७३ शकवा शकवा ७३ किरवा
 में ना.सं. ५६१३ दिनांक २१.५.२०१५ में
 अपीलार्थी का नाम विशान लाल पुत्र शंकर लाल
 अंकित कर विधा गढ़ा उरख के बजाय
 राजरव शिवाड में कुलदा कुमार पुत्र
 शंकर लाल अंकित विधा जावे।
 शकवा कारेकोल अपना अपना कहन
 करे।

आज दिनांक ३१.५.१८ को विधि
 हमीरगढ़ में सर आम सुनाया गया।
 पत्रावली पेशल सुमा होकर
 नम्बर से काम हो।